


केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
141 21-01-2008	21-01-2008	21-01-2008	2






પ્રક્રિયા કે સવિધા કે સંસ્કાર સંબંધે

સર્વે સંબંધ સંબંધ	સર્વે સંબંધ સંબંધ	સર્વે સંબંધ સંબંધ	સર્વે સંબંધ સંબંધ
સંબંધ સંબંધ સંબંધ	સંબંધ સંબંધ સંબંધ	સંબંધ સંબંધ સંબંધ	સંબંધ સંબંધ સંબંધ

સર્વે સંબંધ સંબંધ 10/1/2000 સંબંધ સંબંધ (સંબંધ સંબંધ) : સંબંધ સંબંધ
 સંબંધ સંબંધ સંબંધ 975 સંબંધ સંબંધ 143 સંબંધ સંબંધ સંબંધ.
 સંબંધ સંબંધ સંબંધ સંબંધ

સર્વે - સંબંધ સંબંધ સંબંધ સંબંધ સંબંધ સંબંધ



न्यायालय उप जिलाधिकारी जखनिया-गाजीपुर

मु०नं०-१७५

मौजा-देवा

कमला, विन्ध्याचल

अन्तर्गत धारा-१४३ ज०वि०अधि०

परगना शादियाबाद जिला-गाजीपुर

उ०प्र०सरकार

बनाम

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण कमला व विन्ध्याचल पुत्रगण स्व० रामधारी निवासी ग्राम-देवा, परगना-शादियाबाद, तहसील-जखनिया, जिला-गाजीपुर द्वारा ग्राम-देवा, परगना-शादियाबाद, तहसील-जखनिया, जनपद-गाजीपुर स्थित गाटा सं०-१३७ रकबा १.५३५० हे० में से १.१३८ हे० (११५०० वर्गमीटर) कृषि योग्य भूमि को शैक्षणिक प्रयोजन के लिए अकृषिक कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। आवेदक द्वारा कृषि योग्य भूमि को अकृषिक घोषित कराने हेतु उ०प्र०ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५० की धारा-१४३ के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा किया गया है। आ०नं०-३३७ रकबा १.५३५० हे० में से १.१३८ हे० (११५०० वर्गमीटर) को अकृषिक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार जखनिया की जाँच आख्या सरस्तुति सहित प्रेषित दिनांक ३१-१२-२००७ से सहमत।

अतः उपर्युक्त विवेचित तथ्यों एवं उद्धरण खतौनी फसली वर्ष-१४१२ लगायत-१४१७ व क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक २४-१२-२००७ व तहसीलदार जखनिया संस्तुति सहित प्रेषित दिनांक ३१-१२-२००७ के आधार पर मौजा-देवा परगना-शादियाबाद, तहसील-जखनिया, जनपद-गाजीपुर के उद्धरण खतौनी फसली वर्ष-१४१२ लगायत-१४१७ के खाता सं० ००३२५ के आ०नं०-१३७ रकबा १.५३५० हे० में से १.१३८ हे० (११५०० वर्गमीटर) भूमि में से आ०नं०-१३७ रकबा १.१३८ हे० (११५०० वर्गमीटर) भूमि को शैक्षणिक प्रयोजन में लाये जाने हेतु उक्त भूखण्ड आ०नं०-१३७ रकबा १.१३८ हे० (११५०० वर्गमीटर) भूमि को खातेदार कमला व विन्ध्याचल पुत्रगण स्व० रामधारी निवासी ग्राम-देवा, परगना-शादियाबाद, तहसील-जखनिया, जनपद-गाजीपुर के नाम कृषि कार्य से भिन्न अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आवश्यक अनुपालन के पश्चात् पत्रावली दाखिल दपतर हो।

दिनांक- १८-१-२००८

मो० दे० कमला विन्ध्याचल पुत्रगण
२१/१/०८ - २५०

(श्रीनार्थ शुक्ल)
उपजिलाधिकारी
जखनिया-गाजीपुर।

१८/१/०८